

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/18/2022	2022/62	27-07-2022	12-07-2023
01- नगर विकास न्यास अलवर जयपुर सचिव/सचिव नगर विकास न्यास अलवर (राजस्थान)			
- अपीलाण्ट			

बनाम

01- मुखन सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिंह निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी जिला जयपुर (राजस्थान)

- रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक 03.09.2021 नामान्तकरण संख्या 426 वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर।

-वकील अपीलान्ट

-वकील रेस्पोंडेन्ट

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 नामान्तकरण संख्या 426 वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 664/206 रकबा 1.00 है0 (694/664 रकबा 63 ऐयर व 692/664 रकबा 37 ऐयर कित्ता 2 रकबा 1.00 है0) वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलान्ट नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत तहसीलदार के द्वारा मुताबिक न्यायालय के आदेश से नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है, किन्तु आदेश किस न्यायालय का है, व किस उनवानी प्रकरण का/किस दिनाक का आदेश है, यह कही नामान्तकरण पर अंकित नहीं किया गया है। विवादित आराजीयात सिवायचक भूमि है, जो कि शहरी परिक्षेत्र में स्थित सिवायचक व नजूल भूमि होने के कारण नगर विकास न्यास अलवर में निहित हो जाती है, और बाद अधिसूचना ऐसी आराजी का निस्तारण बिना नगर विकास न्यास अलवर को सुने नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 426 निर्णय दिनाक 03.09.2021 वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर में वर्णित आराजीयात पूर्व में सिवायचक भूमि रही है, ऐसी स्थिति में कानूनन सिवायचक भूमि की खातेदारी किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर की अधिसूचना कंभाक प.10(23) न.वि.वि./3/10 दिनाक 13.10.2011 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) जयपुर को अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील अलवर के 76

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

राजस्व ग्रामो एवं तहसील रामगढ के 10 राजस्व ग्रामो को शामिल किया गया और उनका सिविल सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया। इस अधिसूचना के बाद सिवायचक भूमि धारा 43 नगर विकास न्यास अधिनियम एवं धारा 102 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के अधीन न्यास में निहित हो चुके हैं, उपरोक्त अधिसूचना के तहत इन्तकाल आराजी के संबंध में जिला कलक्टर अलवर द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/12/ 9902-13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा अलवर जिले के विभिन्न उपखण्डों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामो में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये जनोपयोगी प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालयों एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिये भूमि चिन्हीकरण कर उसके प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश जारी किये थे, तथा तहसीलदार थानागाजी/राजगढ/लक्ष्मणगढ/कठूमर/किशनगढवास/रामगढ/वानसूर/अलवर/वहरोड/मुण्डावर/कोटकासिम/तिजारा को निर्देशित किया गया था, कि प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हीत आरक्षित भूमि को छोड़कर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) स्थानीय निकायों में सम्मिलित राजस्व ग्रामो की भूमि को दिनांक 31.10.2012 को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करते हुये दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तकरण जेर अपील मिन अप्रार्थी न्यास के पक्ष में विधिवत दर्ज कर स्वीकार हुआ था। किन्तु तहत अदालत के द्वारा विवादित निर्णय करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को न तो सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया, न ही सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया। विवादित निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 03.09.2021 की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2022 को हुयी, जिस पर दिनांक 16.07.2022 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु पेश किया गया जो नकल उसी दिन सायंकाल को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना देरी किये यह पेश की गयी है। जानकारी की दिनांक 15.07.2022 से मामुलन अन्दर अवधि प्रस्तुत है। इस तरह अपील विलंब से पेश किये जाने में मिन अपीलान्ट की कोई गलती व लापरवाही किसी तरह की नहीं रही है, तथा देरी का समय नेकनियति पर आधारित होने से काबिले माफ व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर, अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 426 निर्णय 03.09.2021 वाके ग्राम रूंधधूनीनाथ तहसील रामगढ निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 18.03.2021 से असन्तुष्ट होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील पेश की गयी थी, जिस तत्कालीन अपील में रेस्पोजेन्ट नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जवाब पेश कर बहस की गयी। तत्पश्चात ही न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 24.08.2021 को किया गया। जिससे भी स्पष्ट है, कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की बखूबी जानकारी थी, जानकारी होते हुये भी अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। जो मियाद के बिन्दू पर ही अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी के बाबत पूर्व में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 14.10.2010 को ही निर्णय पारित कर रेस्पोजेन्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। उक्त आराजीयात पर रेस्पोजेन्ट अपने बुर्जगान के समय से ही अरसे दराज से यानि बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1958 के लागू होने के दिवस से अब तक मिन रेस्पोजेन्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है, और मौके पर आज भी रेस्पोजेन्ट का काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट को कोई वास्ता नहीं है, अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।




2-2
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्टान/रेस्पोजेन्ट की बहस पर गनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश 03.09.2021 बाबत नामान्तकरण संख्या 426 वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर। के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 27.07.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है, अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया अपील किये जाने में हुये विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना-पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 664/206 रकबा 1.00 है0 (694/664 रकबा 63 ऐयर व 692/664 रकबा 37 ऐयर किता 2 रकबा 1.00 है0) वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलान्ट नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत तहसीलदार के द्वारा मुताबिक न्यायालय के आदेश से नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है, वकील रेस्पोजेन्ट का कथन है, कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 18.03.2021 से असन्तुष्ट होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील पेश की गयी थी, जिस तत्कालीन अपील में रेस्पोजेन्ट नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जवाब पेश कर बहस की गयी तत्पश्चात ही न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 24.08.2021 को किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 बाबत नामान्तकरण संख्या 426 वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोजेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार रामगढ को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में पक्षकार को सुने बिना निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते है। विधिक प्रावधानानुसार किसी भी प्रचलित आदेश को चैलेज किये जानने हेतु सक्षम न्यायालय में पक्षकार बनाया जाकर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। जिससे अभाव में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 बाबत नामान्तकरण संख्या 426 वाके ग्राम रुंधधूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उत्तम सिंह शेरवत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)